

25-8-23

पत्रावली पेश हुई आधिकारिता कमीलार्ड एवं कमीलार्ड  
को आवाज बगवाई गई बार-बार आवाज बगवाने  
के उपरांत भी आधिकारिता कमीलार्ड अबका कमीलार्ड  
में से कोई भी पैरकी हेतु उपस्थित नहीं हुआ ऐसी  
स्थिति में प्रकरण सं. 84/2020 इनकाबी सरकार  
बनाम लक्ष्मण सिंह कलकत्ता न्यायालय में  
सहायक जन सहायक दोसा द्वारा पारित निर्णय  
दिनांक 28-9-2020 के विरुद्ध कमीलार्ड द्वारा  
इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील द्वारा हाजरी एवं  
अदम पैरकी में खारिज की जागी है निर्णय की  
प्रति साक्षित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिपोर्ट  
वापिस भिजवाया जाये। पत्रावली केवल शुभारंभ  
जकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ण प्रविष्ट लेख  
भण्डार की जाये। निर्णय आज दिनांक 25-8-2023  
को मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।



राजकीय अति-जिला कलकत्ता दोहा

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official